मा० भा० न

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

NAACA++ Accredited: ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified

पत्रांकः–रू0वि0 / रासेयो / 2026 / 856–862 दिनांकः–14.09.2026

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य / प्राचार्या / कार्यक्रम अधिकारी,
विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय (रा0से0यो0),
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषयः–वर्ष 2026–27 हेतु निर्गत 50 प्रतिशत अनुदान उपभोग करने एवं प्रत्येक रा0से0यो0 इकाई का जेड0बी0एस0ए0 खाता खोलने / सक्रिय करने सम्बन्धी।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक रा0से0यो0 क्षेत्रीय निदेशालय के संलग्न पत्र संख्या स0 28–10 / रा0से0यो0 / क्षे. नि / लख / 2026–27 / 8885–8953, दिनांक 11 सितम्बर, 2026, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निदेशालय संलग्न सूची अनुसार सत्र माह– अप्रैल से सितम्बर–2026 तक की अवधि की प्रथम किश्त रा0से0यो0 अनुदान का 50 प्रतिशत (रू0 37,500 / –प्रति इकाई) चाइल्ड एजेंसियों के खातों में प्रेषित कर दिया गया है, जिसका कि उपयोग दिनांक 30.09.2026 से पूर्व ही समस्त इकाईयों द्वारा किया जाना अनिवार्य है। प्रथम किश्त पूर्णतः उपयोग किये जाने के बाद ही भारत सरकार द्वारा अवशेष 50 प्रतिशत अनुदान निर्गत किया जायेगा। रा0से0यो0 अनुदान प्रवाह के नए प्रावधान के अन्तर्गत निम्न निर्देशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाना अपेक्षित है।

1. एकल खाता संरचना के अन्तर्गत प्रत्येक रा0से0यो0 इकाई को पृथक–पृथक ZBSA खाता केवल भारतीय स्टेट बैंक SBI में ही खुलवाना होगा। जिन मामलों में अभी तक कई इकाईयां एक ही खाता संख्या से संचालित (Co-Mapped) है वहां सभी इकाईयों को (SBI) में प्रोडक्ट कोड–51112171 के अन्तर्गत अलग–अलग ZBSA खाता खोलकर इन खातों को तुरन्त अलग करना होगा।
2. निदेशालय–रा0से0यो0 नई दिल्ली द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त उत्तर प्रदेश के अनमैप्पेड खातों का विवरण (सूची संलग्न) जिनका कि अनुपालन KYC या अन्य तकनीकी कारणों से चालू नही किया जा सका है उनको संचालित कराने अथवा भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में तुरन्त नया ZBSA खाता खुलवाने की प्रक्रिया शुरू करनी है, तथा नए खुलवाये गये खातों का विवरण अद्योहस्ताक्षरी को दिनांक 15.09.2026 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना है, जिससे कि उक्त इकाईयों का अनुदान भी समय से निर्गत करते हुए दिनांक 30.09.2026 तक समायोजन किया जा सके।

अतः आपसे आग्रह है कि उपरोक्त प्रश्नगत प्रकरण अनुसार यथावश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
संलग्न–यथोक्त।

भवदीय

/

कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजन

प्रतिलिपिः–

1. क्षेत्रीय निदेशक महोदय, रा0से0यो0 क्षेत्रीय निदेशालय केन्द्रीय भवन आठवॉं तल, हाल न0–1, सेक्टर–एच, अलीगंज लखनऊ, के संज्ञानार्थ। 226024
2. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी महोदया, रा0से0यो0को0, उच्च शिक्षा विभाग, कक्ष संख्या–55, बहुखण्डी भवन, तृतीय तल, सचिवालय, उ0प्र0 शासन लखनऊ, के संज्ञानार्थ। 226001
3. कुलसचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. **क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी महोदय, बरेली परिक्षेत्र को शासन के निर्देशों के दृष्टिगत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**
5. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
6. बेवसाइट प्रभारी को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

Rajiv 14.9.26

कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना